सूचना

समस्त एलएल0बी0 VI तथा बी0ए0एलएल0बी0 X सेमेस्टर के छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनके प्रयोगात्मक विषय "Moot Court, Pre Trail Preparation and Participation in Trial Proceedings" प्रस्तावित **मूट–कोर्ट समस्या–3 प्रस्तुतीकरण** परीक्षा तिथि **26 मार्च तथा 27 मार्च 2018** निश्चित है। निर्धारित तिथि को समस्त छात्र–छात्राऐं अपने समूह के अनुसार मूट समस्या की लिखित सामग्री सहित, न्यायालय के गणवेश में मूट कोर्ट में अपने–अपने पक्ष की प्रस्तुतिकरण हेतु उपस्थित हों। प्रस्तुतिकरण परीक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थी परीक्षा में असफल माने जायेंगे। मूट समस्या हेतु ग्रुप व अधिक जानकारी हेतु कॉलेज की वेबसाईट www.unitylawcollege.com या सम्बन्धित प्राध्यापक से सम्पर्क करें।

The memorials must contain these heads given below and have to be submitted in handwriting on legal size paper:

* Cover Page
* Table of Contents
* Index of Authorities
* Statement of Jurisdiction
* Statement of Facts
* Questions of Law
* Summary of Arguments
* Arguments Advanced,
* Prayer
*Appendix

दिनांक 21 / 03 / 2018

विषय प्राध्यापक
सागर सिंह पाटनी

Moot Problem-III

KALAWATI VS. LAXMI & RAJ

Mr. Raj, a Hindu, married with Miss. Laxmi, a Hindu by religion on 25th January 2010, as per Hindu rituals. They resided happily together for 3 years. Thereafter Raj have applied for divorce U/Sec.13 of Hindu Marriage Act, alleging the conversion of religion by his wife. The summons were issued to the respondent wife, at the address shown in cause title which were marked as "refused to accept", the family court considering it as good service proceeded with the matter. The petition went ex-parte against the wife and basing upon the evidence laid by the husband, the family court has granted the divorce to the husband on 10 July 2013. The copy of the order was sent by husband to the wife by registered post on the address in cause title.

Thereafter the husband waited for one year and got remarried on 14th June 2015, to one Miss. Kalawati, a Hindu by religion. Meanwhile Mrs. Laxmi on 5th December 2015 filed an application for condonation of delay for filing appeal against the decree of Family Court granting ex-parte decree to the husband before the High Court of Manaskhand, stating therein the reasons for delay as non-awareness of the proceeding. She has categorically established before the court that she have never stayed upon the address mentioned in the cause title and nor converted to any religion. The High Court condoned the delay and heard the appeal of the appellant Mrs. Laxmi. The husband brought it to the notice of High Court that, he is now married with one Miss. Kalawati and both are residing with each other and have categorically denied all the allegations of wife. The High Court in appeal held that, the wife is not converted to any religion and there exists no ground for granting divorce and has allowed the appeal filed by wife, by setting aside the ex-parte decree.

The present petition is filed before the Supreme Court of Indica, to obtain a special leave to appeal by the second wife Mrs. Kalawati, by making Mrs. Laxmi (The Appellant, in High Court) as Respondent No.1 and the Husband as Respondent No.2 alleging that, the High Court could not have allowed the petition without making her party. She further alleges that, since her right was involved in the matter, the judgment given by the High Court in appeal; without making her party, is not binding to her and therefore filed the present SLP against the order of High Court praying for setting aside the order of High Court and confirming the decree of Family Court. She alleges that at the time of her marriage the husband was a lawfully divorced person and therefore marrying with him is lawful as per Hindu Marriage Act and a marriage as per the Act does not come to an end except otherwise than a petition filed by any of the party to the marriage. And therefore the High Court while allowing appeal has lost the sight on this important aspect and therefore the present petition. The Respondent No.1 prays for dismissal of SLP claiming that since her marriage is intact, the petitioner has no right to interfere in matrimonial proceeding and the marriage with her is null and void. The Respondent No.2 supports the case of petitioner. The Supreme Court of Indica has admitted the present appeal and have framed the following issues in order to final hearing of the present appeal.

Issues:

1. Whether the Petitioner has locus standi to file the present petition?
2. Whether setting aside of the divorce by the High Court particularly in the case of husband marring second time is proper?
3. Whether the marriage of petitioner will survive. If no, what about the status of petitioner. If yes, what about the right of first wife.

श्री राज एवं लक्ष्मी धर्म से हिन्दू, 25 जनवरी 2010 का हिन्दू रीति रिवाज से विवाहित हैं, जो विवाह के 3 साल तक खुशी से एक साथ रहते थे। तत्पश्चात् राज ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन पत्नी द्वारा धर्म परिवर्तन के आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर की। प्रत्युत्तरदाता पत्नी को समन आदेशीकायें बताये गये पते पर जारी हुयी, जो कि स्वीकार करने से इंकार के साथ चिन्हित होकर न्यायालय में तामीली के रूप में आई। अतः यह याचिका पत्नी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के रूप में बढ़ी। पति द्वारा दिये गये निर्धारित सबूत के आधार पर दिनांक 10 जुलाई 2013 को परिवार न्यायालय द्वारा तलाक प्रत्याभूत कर दिया गया। पत्नी के बताये पते पर आदेश की रजिस्टर्ड डाक प्रेषित कर दी गई।

इसके उपरान्त पति एक वर्ष तक इन्तजार करता रहा और दिनांक 14 जून 2015 को कलावती धर्म से हिन्दू के साथ पुनर्विवाह किया। इसी बीच दिनांक 5 दिसम्बर 2015 को पूर्व पत्नी लक्ष्मी ने परिवार न्यायालय के एक पक्षीय डिक्री के विरुद्ध मानसखण्ड उच्च न्यायालय में अपील दर्ज करने में हुयी देरी के लिए कार्यवाही की जानकारी न होने के आधार पर क्षमा प्रार्थना पत्र दायर किया। लक्ष्मी ने बताये गये पते पर कभी भी निवास से तथा धर्म परिवर्तन के आरोप से इंकार करते हुए विलम्ब को स्पष्ट किया। उच्च न्यायालय ने विलम्ब के कारण को स्वीकार करते हुए अपील को ग्राह्य किया। पति द्वारा, उच्च न्यायालय के समक्ष इस बात को स्पष्ट किया गया कि वह एक दूसरी स्त्री कलावती के साथ वैवाहिक जीवन यापन कर रहा है और पूर्व पत्नी द्वारा लगाये आरोपों से इंकार किया। उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय के एक पक्षीय आदेश (तलाक डीक्री) को अपास्त किया तथा लक्ष्मी द्वारा दी गई अपील को स्वीकृत करते हुए निर्धारित किया कि उसके द्वारा धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है।

यह वर्तमान याचिका विवाह की दूसरी पत्नी कलावती द्वारा, "उच्च न्यायालय उसे पक्षकार बनाये बिना ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है", के आधार पर लक्ष्मी एवं राज को प्रत्युत्तरदाता पक्ष बनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय इण्डिका के समक्ष अपील के लिए विशेष इजाजत संस्थित की। उसने यह भी आरोप लगाया कि अपील में उच्च न्यायालय उसे पक्षकार बनाये बिना कोई बाध्यकारी आदेश पारित नहीं कर सकता है, जबकि वह इस मामले से जुड़ी हुयी है, इसलिए उच्च न्यायालय के कथित आदेश को अपास्त करने के लिए और परिवार न्यायालय की तलाक डीक्री को अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए प्रार्थना के रूप में विशेष अनुमति से अपील संस्थित की गई। कलावती ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके तथा प्रत्युत्तरदाता–2 राज के मध्य विवाह के समय उसका पति विधि पूर्वक तलाकसुधा था और विवाह, हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत किया गया और कोई भी हिन्दू विवाह पक्षकारों की याचिका के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय के द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए आदेश देते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ दिया जिसकारण यह विशेष अपील संस्थित की जा रही है। प्रत्युत्तरदाता–1 लक्ष्मी ने विशेष अपील को खारिज करने की प्रार्थना इस आधार पर की कि जबकि उसका विवाह अनवरत है तो याचिकाकर्ता को उसके विवाह तथा वैवाहिक कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, फलतः राज एवं कलावती के मध्य विवाह शून्य एवं अकृत है। प्रत्युत्तरदाता–2 राज याचिकाकर्ता कलावती को इस मामले में समर्थन दे रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय इण्डिका ने इस अपील को स्वीकार किया और निम्न बिन्दुओं पर अन्तिम सुनवाई के लिए 26 तथा 27 मार्च 2018 को याचिकाकर्ता एवं प्रत्युत्तरदाता की ओर से बहस करें।

1. यह कि क्या याचिकाकर्ता को याचिका संस्थित करने का अधिकार है?
2. यह कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा तलाक का अपास्तिकरण के पश्चात् द्वितीय विवाह उचित है?
3. यह कि क्या याचिकाकर्ता का विवाह मान्य रहेगा, यदि नही ंतो याचिकाकर्ता की क्या प्रास्थिति है और यदि हाँ तो प्रथम पत्नी के अधिकार का क्या होगा?